



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 23) पटना बुधवार 6 जनवरी 2021

सं०-27/आरोप-01-62/2020/12424/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

23 दिसम्बर 2020

श्री कुमार अनुज, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 1224/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०) बागवाड़ी, भागलपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, जमुई के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-7 दिनांक 08.05.2017 तथा पत्रांक-1027 दिनांक-13.06.2017 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र 'क')/पूरक आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अनुज के विरुद्ध कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), बागवाड़ी, भागलपुर में दुकान/गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरतने तथा कतिपय शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पत्रांक-1068 दिनांक-22.09.2016 की कंडिका-3 के प्रावधानों के विपरीत गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्त/प्रतिनियोजित करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-740 दिनांक-15.01.2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अनुज के पत्रांक-16-0055 दिनांक-15.02.2018 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-11020 दिनांक-14.08.2018 एवं पत्रांक-6767 दिनांक-21.05.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी।

5. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अनुज से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री अनुज के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए तथा मामला

वित्तीय अनियमितता, आपराधिक षडयंत्र से संबंधित होने के कारण प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत श्री अनुज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

6. श्री अनुज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

7. श्री अनुज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 23-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>